

25-11-17 पत्रावली पेश हुई। वकील वकील उप. प्रतिवादी  
वकील वकील के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य किया गया।  
को 25-11-17 को कार्य के अनुसार प्रेषित किया गया।

24-11-17 पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप. प्रतिवादी  
के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य किया गया।  
आदेश दि. 16/11/17 को पेश हो।

16-11-17 पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप. प्रतिवादी  
के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य किया गया।  
आदेश दि. 13/11/17 को पेश हो।

13/11/17 पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप.  
श्रीमान् P.O. साहब के साथ कार्य में व्यस्त है।  
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक... 27/11/18...  
को पेश हो।

5/11/18 पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप.  
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।  
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक... 27/11/18...  
को पेश हो।

2/11/18 पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप. प्रतिवादी  
के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य किया गया।  
आदेश दि. 2/11/18 को पेश हो।

6/3/18 पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप. प्रतिवादी  
के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य किया गया।  
आदेश दि. 6/3/18 को पेश हो।

20/3/18 पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावल  
पूर्व आदेशानुसार आयन्दा दिनांक... 27/11/18...को प्रस्तुत हो

17/4/18 पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावल  
पूर्व आदेशानुसार आयन्दा दिनांक... 27/11/18...को प्रस्तुत हो

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके  
द्वार-2018 अभियान ग्राम पंचायत...  
में आयोजित होने के कारण पेशी में ली गई। सम्बन्धित  
पक्षकारान को वास्तु तलबी नोटिस/ सम्मन जारी होकर  
पत्रावली आईन्दा दिनांक... 27/11/18... पेश हो।

प्राप्तकर्ता के नाम और पता को उल्टे में  
प्रस्तुत की गई। वाद पत्र निर्मित किया जा  
सकता है। ऐसी स्थिति में अपवाद निषेधाज्ञा  
प्राप्तकर्ता का वर्तमान के गई अधिल नहीं  
रह जाता है। किंतु अपवाद निषेधाज्ञा प्राप्त  
पत्र जारी स्तर पर खातिग किया जाता है।

निर्णय पत्रों को आस प्रुवाच्य जतर  
सुले म्यामालन में प्रुनाया गया।

पत्रावली में सख सुकार एकर दफ्तरी  
साखिल हो।

(  
अनप्राप्त मीना  
उपपण्ड अधिकार  
केवण्ड

कम्प - 3ND